BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

<u>ORIGINAL APPLICATION NO. 509 OF 2025</u>

<u>IN THE MATTER OF</u>:
AMIT GUPTA ...APPLICANT

VERSUS

NOIDA AUTHORITY & ORS. .....RESPONDENT

<u>INDEX</u>

SLNo.	PARTICULARS	PAGES
1.	Additional Affidavit on behalf of Respondent No.6, Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-4
2.	**ANNEXURE-1** A true copy of the chart alongwith inspection reports	5-20
3.	**ANNEXURE-2** A true copy of those letters	21-23
4.	**ANNEXURE-3** A chart showing the details of these sites alongwith inspection report	24-36
5.	**ANNEXURE-4** True copy the Letters issued to the NOIDA Authority requesting to recover the Environmental Compensation	37-42

NEW DELHI
DATED: 08.07.2026

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 509 OF 2025

IN THE MATTER OF:
AMIT GUPTA ...**APPLICANT**

VERSUS

NOIDA AUTHORITY & ORS. .....**RESPONDENT**

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Reetesh Kumar Tewari, aged about 50 years, S/o Shri J.N. Tewari, presently posted as Regional Officer, U.P. Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), NOIDA do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That in the abovenoted capacity, I am well conversant with the facts and records of the present case and also being authorized, am competent to swear this affidavit.

2. That in the present case the grievance has been raised by the Applicant that various agencies doing development work are not following the norms including the notification dated 25.01.2018 issued by MoEF regarding dust emission and not taking the preventative measures to control the pollution.

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

3. That this Hon'ble Tribunal has issued order dated 24.12.2025, directing that the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) shall regularly monitor the same, ascertain the period of violation for each such instance, and submit the calculation of Environmental Compensation for violations occurring until now or until the next date of hearing.

4. That pursuant to the said direction affidavit dated 11.03.2026 has been filed whereby the U.P. Pollution control Board has inspected 12 sites wherein violation has been found and Environmental Compensation has been calculated as per the observation of this Hon'ble Court in M.A. No. 360 of 2016 in O.A. No. 21 of 2014; Vardhman Kaushik Vs. Union of India & Ors. Vide order dated 20.07.2016. The relevant extract of the said order reads as follows:

> "M.A. No. 360 of 2016
> We have heard the learned Counsel appearing for the parties.
>
> We clarify that the environmental compensation would be imposed on slab basis. We find that the prayer made in this Application is just and fair and if the offending construction in plot upto 100 sq. mt. the environmental compensation would be Rs. 10,000/-, if the offending construction is more than 100 sq mtr. But upto 200 sq. mt., the environmental compensation would be Rs. 20,000/-, if the offending construction is in a plot of more than 200 sq. mt. but less than 500 sq. mt. the environmental

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

compensation would be Rs. 30,000/-, while the offending construction is in a plot area of more than 500 sq. mt. the environmental compensation would be Rs. 50,000/- as already directed by the orders of the Tribunal. Wherever the construction area is more than 20,000 sq. mtr. The environmental compensation would be Rs. 5 lakhs. This rate will operate prospectively.

Accordingly, M.A. No. 360 of 2016 stands disposed of without any order as to costs."

5. That as per the directions of this Hon'ble Tribunal the compensation has to be fixed as per the violation found and not according to no. of days. Accordingly, whenever it is found that violation of rule are being made, compensation has been directed to be paid.

6. That again the aforesaid 12 sites were inspected by the Regional Office, UPPCB on 19.06.2026 and it has been found that except 3 from other 9 sites, violation has been removed, hence the compensation of Rs. 50,000/- has been directed to be imposed against the 3 sites. A true copy of the chart alongwith inspection reports is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1 (Colly)**.

7. That the 3 sites where violation has been found, Noida Authority has been informed and requested to recover the compensation from the executing authority. A true copy of those letters are being enclosed herewith and marked as **Annexure-2 (Colly)**

NOTARY ★ N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 ★ GOVT. OF INDIA

8. That the Regional Office of UPPCB also visited 6 more sites and on inspection, violation has been found, hence it is recommended that compensation of Rs. 50,000/- each be imposed and recovered by the NOIDA Authority. A chart showing the details of these sites alongwith inspection report is being enclosed herewith and marked as **Annexure-3 (Colly)**

   Letters issued to the NOIDA Authority requesting to recover the Environmental Compensation are being enclosed herewith and marked as **Annexure-4 (Colly).**

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ..NOIDA.. on this the 3rd day of JULY 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
N.C. Sharma
G.B. Nagar
Reg. No. 1218
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
Naveen Chandra Sharma
Advocate Notary
Dadri Noida (G.B Nagar)
- 3 JUL 2026

Details of inspection reports and letters to be sent to the Noida Authority in cases where violations of the directions issued in C&D Waste Management Rule 2016, Dust Notification Date-25-01-2018 are found by the executing agencies of the New Okhla Industrial Development Authority during various inspections conducted by the Regional Office-

S.No.	Inspection Date	Letter sent to the Authority on Date	Site Details	Details of Environmental Compensation (Rs.)	Re-Inspection Date	Violation (Yes/No)	Again Letter Sent to Authority on Date	Re-imposed Environmental Compensation	Re-Inspection Date	Violation (Yes/No)	Again Letter Sent to Authority on Date	Re-imposed Environmental Compensation
1-	14-01-2026	19-01-2026	Sector-45, Noida	50,000	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000	19-06-2026	Yes	22-06-2026	50,000
2-	14-01-2026	19-01-2026	Sector-45, Noida	50,000	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000	19-06-2026	No	No	No
3-	14-01-2026	19-01-2026	Sector-62, Noida	50,000	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000	19-06-2026	No	No	No
4-	19-01-2026	19-01-2026	Sector-12, Noida	20,000	06-03-2026	Yes	06-03-2026	20,000	19-06-2026	No	No	No
5-	19-01-2026	20-01-2026	Sector-50, Noida	50,000	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000	19-06-2026	No	No	No
6-	19-01-2026	20-01-2026	Sector-20, Noida	50,000	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000	19-06-2026	No	No	No
7-	19-01-2026	20-01-2026	Sector-50, Noida	50,000	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000	19-06-2026	Yes	22-06-2026	50,000
8-	19-01-2026	20-01-2026	Sector-50, Noida	50,000	06-02-2026 & 06-03-2026	Yes	06-02-2026 & 06-03-2026	50,000 & 50,000	19-06-2026	No	No	No
9-	19-01-2026	20-01-2026	Sector-107, Noida	10,000	06-03-2026	Yes	06-03-2026	10,000	19-06-2026	No	No	No
10-	19-01-2026	20-01-2026	Sector-107, Noida	10,000	06-03-2026	Yes	06-03-2026	10,000	19-06-2026	Yes	22-06-2026	50,000
11-	20-01-2026	21-01-2026	Sector-122, Noida	50,000	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000	19-06-2026	No	No	No
12-	12-02-2026	19-02-2026	Sector-15, Noida	50,000	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000	19-06-2026	No	No	No

AEE

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या–

1.	स्थल का पूर्ण पता	आम्रपाली सोसायटी, सेक्टर–45, नोएडा के पास।
2.	पुनः निरीक्षण दिनांक	19.06.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री चन्द्र शेखर, सहा0पर्या0 अभि0, श्री आशीष चौहान, एस0ई0ए0 एवं श्री रवि कुमार, जे0ई0ए0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	आम्रपाली सोसायटी, सेक्टर–45, नोएडा के पास पी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत पाइपलाइन डालने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे उत्पन्न मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	–
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	–
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय भूमिगत पाइपलाइन डालने के उपरांत उत्पन्न मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान लिए गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे–वाटरस्प्रिंक्लर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	आम्रपाली सोसायटी, सेक्टर–45, नोएडा के पास पी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत पाइपलाइन डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। भण्डारित मिट्टी पर जल छिड़काव व ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष आम्रपाली सोसायटी, सेक्टर–45, नोएडा के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः पी0वी0एन0एल0 की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– (पचास हजार रू0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की पुनः संस्तुति सहित

		आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। उक्त के अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थल पर मिट्टी को हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत कराये जाने, पानी का छिड़काव कराये जाने एवं निरंतर मैकेनिकल स्वीपिंग कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

19/06/2026 19/06/26 19/6/2026

(रवि कुमार) जे0ई0ए0 (आशीष चौहान) एस0ई0ए0 (चन्द्र शेखर) सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

19.6.26 RO

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **रु0 10,000/–** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **रु0 20,000/–** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **रु0 30,000/–** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **रु0 50,000/–** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **रु0 5,00,000/–** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **रु0 5,000/–** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

1. पूर्व में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–06.03.2026 को निरीक्षण के दौरान NRI Residency, Sector-45, Noida के सामने नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला बनाने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे उत्पन्न मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस–पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, जिसके अनुपालन में नोएडा अथारिटी के कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया था।
2. उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में NRI Residency, Sector-45, Noida का पुनः निरीक्षण दिनांक 19.06.2026 को किया गया।
3. निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर नाला बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं रोड पर मिट्टी व निर्माण सामग्री का भण्डारण किया हुआ नही पाया गया।
4. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है:–

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

19/06/26 (रवि कुमार) जे0ई0ए0

19/06/26 (आशीष चौहान) एस0ई0ए0

19/6/26 (चन्द्र शेखर) सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

19.6.26

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ.ए. संख्या 509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण आख्या—

1. पूर्व में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकरियों द्वारा दिनांक 14.01.2026 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान NTPC, Vinayak Apartment, Plot No. C-58/1, Sector-62, Noida के पास नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा फुटपाथ बनाने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे उत्पन्न मिट्टी एवं निर्माण सामग्री को सडक के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिडकाव आदि की व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी, जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनो के आवागमन से आस पास के वायुमंडल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। जिसके अनुपालन में नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के विरूध नियमानुसार रू0 50000/— की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा को पत्र प्रेषित किया गया था।
2. उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ.ए. संख्या 509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में NTPC, Vinayak Apartment, Plot No. C-58/1, Sector-62, Noida का पुनः निरीक्षण दिनांक 19.06.2026 को किया गया।
3. निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर फुटपाथ निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं रोड पर मिट्टी व निर्माण सामग्री का भण्डारण किया हुआ नही पाया गया।
4. निरीक्षण के समय लिए गये फोटोग्राफ संलग्न है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(रवि कुमार)	(आशीष चौहान)	(चन्द्र शेखर)
जे0ई0ए0	एस0ई0ए0	सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

1. पूर्व में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–06.03.2026 को निरीक्षण के दौरान ब्लाक बी, सेक्टर–12, नोएडा के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाले का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया एवं नाले के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री एवं मिट्‌टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस–पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, जिसके अनुपालन में नोएडा अथारिटी के कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया था।
2. उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में ब्लाक बी, सेक्टर–12, नोएडा का पुनः निरीक्षण दिनांक 19.06.2026 को किया गया।
3. निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर नाले का निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं रोड पर मिट्‌टी व निर्माण सामग्री का भण्डारण किया हुआ नही पाया गया।
4. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है:–

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

19/06/26
(रवि कुमार)
जे0ई0ए0

19/06/26
(आशीष चौहान)
एस0ई0ए0

19/6/26
(चन्द्र शेखर)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

19.6.26

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0—509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

1. पूर्व में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक—06.03.2026 को निरीक्षण के दौरान सेक्टर—50, निकट एस0टी0पी0, नोएडा के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा सीवेज पाइप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस—पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, जिसके अनुपालन में नोएडा अथारिटी के कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/— पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया था।
2. उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0—509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में सेक्टर—50, निकट एस0टी0पी0, नोएडा का पुनः निरीक्षण दिनांक 19.06.2026 को किया गया।
3. निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर सीवेज पाइप लाइन डालने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं रोड पर मिट्टी व निर्माण सामग्री का भण्डारण किया हुआ नही पाया गया।
4. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न हैः—

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

19/06/26
(रवि कुमार)
जे0ई0ए0

19/06/26
(आशीष चौहान)
एस0ई0ए0

19/6/26
(चन्द्र शेखर)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

19.6.26
RO

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

1. पूर्व में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–06.03.2026 को निरीक्षण के दौरान विद्युत भण्डार केन्द्र, सेक्टर–20, नोएडा के पास पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस–पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, जिसके अनुपालन में नोएडा अथारिटी के कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया था।
2. उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में विद्युत भण्डार केन्द्र, सेक्टर–20, नोएडा का पुनः निरीक्षण दिनांक 19.06.2026 को किया गया।
3. निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर भूमिगत केबिल डालने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं रोड पर मिट्टी व निर्माण सामग्री का भण्डारण किया हुआ नही पाया गया।
4. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न हैः–

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

19/06/26 (रवि कुमार) जे0ई0ए0

19/06/26 (आशीष चौहान) एस0ई0ए0

19/06/26 (चन्द्र शेखर) सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

19.6.26 RO

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या–

1.	स्थल का पूर्ण पता	मेगदूतम पार्क, सेक्टर–50, नोएडा के पास।
2.	पुनः निरीक्षण दिनांक	19.06.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री चन्द्र शेखर, सहा0पर्या0 अभि0, श्री आशीष चौहान, एस0ई0ए0 एवं श्री रवि कुमार, जे0ई0ए0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	मेगदूतम पार्क, सेक्टर–50, नोएडा के पास पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	–
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	–
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे–वाटरस्प्रिंक्लर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष मेगदूतम पार्क, सेक्टर–50, नोएडा के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार 50,000/– (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की पुनः संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

19/06/26
(रवि कुमार)
जे0ई0ए0

19.06.26
(आशीष चौहान)
एस0ई0ए0

19/6/2026
(चन्द्र शेखर)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

19.6.26
RO

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **रु0 10,000/–** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **रु0 20,000/–** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **रु0 30,000/–** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **रु0 50,000/–** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **रु0 5,00,000/–** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **रु0 5,000/–** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।

587

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

1. पूर्व में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–06.03.2026 को निरीक्षण के दौरान ए–72, सेक्टर–50, नोएडा के सामने पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस–पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, जिसके अनुपालन में नोएडा अथारिटी के कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया था।
2. उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में ए–72, सेक्टर–50, नोएडा का पुनः निरीक्षण दिनांक 19.06.2026 को किया गया।
3. निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर केबिल डालने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं रोड पर मिट्टी व निर्माण सामग्री का भण्डारण किया हुआ नही पाया गया।
4. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है:–

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(रवि कुमार)
जे0ई0ए0

(आशीष चौहान)
एस0ई0ए0

(चन्द्र शेखर)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

1. पूर्व में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–06.03.2026 को निरीक्षण के दौरान निकट महागुन, सेक्टर–107, नोएडा के पास आई0जी0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा गैस पाइप लाइन डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस–पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, जिसके अनुपालन में नोएडा अथारिटी के कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया था।
2. उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में निकट महागुन, सेक्टर–107, नोएडा का पुनः निरीक्षण दिनांक 19.06.2026 को किया गया।
3. निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर गैस पाइप लाइन डालने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं रोड पर मिट्टी व निर्माण सामग्री का भण्डारण किया हुआ नही पाया गया।
4. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न हैः–

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

19/06/2026
(रवि कुमार)
जे0ई0ए0

19/06/26
(आशीष चौहान)
एस0ई0ए0

19/6/2026
(चन्द्र शेखर)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

19.6.26
RO

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या–

1.	स्थल का पूर्ण पता	प्रतीक एडीफिक, सेक्टर–107, नोएडा के सामने।
2.	निरीक्षण दिनांक	19.06.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	चन्द्र शेखर, सहा0 पर्या0 अभियन्ता, आशीष चौहान, एस0ई0ए0, रवि कुमार, जे0ई0ए0।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	प्रतीक एडीफिक, सेक्टर–107 नोएडा के सामने प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाइप लाईन डालने हेतु मिट्टी एवं निर्माण सामग्री का रोड के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	–
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	–
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी एवं निर्माण सामग्री को रोड के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है।
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे–वाटरस्प्रिंक्लर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाईपलाईन डालने हेतु मिट्टी को खोदकर एवं निर्माण सामग्री को सडक के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़कांव व ग्रीननेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन एवं हवा के चलने से वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष प्रतीक एडीफिक, सेक्टर–107 नोएडा के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन

		पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार 50,000/— (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

19/06/26 (रवि कुमार) जे0ई0ए0

19/06/26 (आशीष चौहान) एस0ई0ए0

19/6/26 (चन्द्र शेखर) सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

19.6.26

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **रु0 10,000/–** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **रु0 20,000/–** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **रु0 30,000/–** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **रु0 50,000/–** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **रु0 5,00,000/–** अर्थ दण्ड।

बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **रु0 5,000/–** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

1. पूर्व में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–20.01.2026 को निरीक्षण के दौरान सेक्टर–122, नियर पी0के0 ब्लाक, गेट नं0–01, नोएडा के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला बनाने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस–पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, जिसके अनुपालन में नोएडा अथारिटी के कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया था।
2. उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में सेक्टर–122, नियर पी0के0 ब्लाक, गेट नं0–01, नोएडा का पुनः निरीक्षण दिनांक 19.06.2026 को किया गया।
3. निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर नाले का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं रोड पर मिट्टी व निर्माण सामग्री का भण्डारण किया हुआ नही पाया गया।
4. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न हैः–

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

19/06/26
(रवि कुमार)
जे0ई0ए0

19/06/26
(आशीष चौहान)
एस0ई0ए0

19/6/26
(चन्द्र शेखर)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

19.6.26
RO

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

1. पूर्व में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–06.03.2026 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निकट नोएडा, सेक्टर–15, पिलर नं0–37 से पिलर नं0–44 के मध्य नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस–पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, जिसके अनुपालन में नोएडा अथारिटी के कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया था।
2. उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में सेक्टर–15, नोएडा का पुनः निरीक्षण दिनांक 19.06.2026 को किया गया।
3. निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर फुटपाथ का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं रोड पर मिट्टी व निर्माण सामग्री का भण्डारण किया हुआ नही पाया गया।
4. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न हैः–

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

19/06/26 (रवि कुमार) जे0ई0ए0

19/06/26 (आशीष चौहान) एस0ई0ए0

19/6/26 (चन्द्र शेखर) सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

19.6.26
RO

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा

REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 424/क्षा०प०-194/26 दिनांक: 22-06-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर–6, नोएडा

विषयः–मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० सं०–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश के क्रम में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–19.06.2026 को पुनः निरीक्षण के दौरान आम्रपाली सोसायटी, सेक्टर–45, नोएडा के पास पुलिस चौकी के पास में पी०वी०एन०एल० की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत पाइप पाइपलाइन डालने के उपरांत मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस–पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः पी०वी०एन०एल० की कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू० 50,000/– (रू० पचास हजार मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित करने की पुनः संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है। उक्त के अतिरिक्त आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त स्थल पर मिट्टी को हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत कराये जाने, पानी की छिड़काव कराये जाने एवं निरंतर मैकेनिकल स्वीपिंग कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद–गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 425/सा०प०-134/26 दिनांक: 22-06-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर–6, नोएडा

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश के क्रम में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–19.06.2026 को पुनः निरीक्षण के दौरान मेगदूतम पार्क, सेक्टर–50, नोएडा के पास पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस–पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पुनः संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद–गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

e:\ashish sea\covering.doc

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः 426/ एन०ए०-194/26 दिनांकः 22-06-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (S.P.),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर–6, नोएडा

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं–509/2025 अमित गुप्ता बनाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश के कम में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रतीक एडीफिक, सेक्टर–107, नोएडा के सामने का पुनः स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19.06.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रतीक एडीफिक, सेक्टर–107, नोएडा के सामने नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाईप लाईन डालने हेतु मिट्‌टी एवं निर्माण सामग्री को खुले में रोड के किनारे भण्डारित किया हुआ पाया गया, जिस पर समुचित जल छिड़कांव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस–पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पुनः संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, महोदया, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Details of inspection reports and letters to be sent to the Noida Authority in cases where violations of the directions issued in C&D Waste Management Rule 2016, Dust Notification Date-25-01-2018 are found by the executing agencies of the New Okhla Industrial Development Authority during various inspections conducted by the Regional Office-

S.No.	Inspection Date	Letter sent to the Authority on Date	Site Details	Details of Environmental Compensation (Rs.)
1.	23.05.2026	26-05-2026	Sector-62, Noida	50,000/-
2.	23.05.2026	26-05-2026	Sector-31, Noida	50,000/-
3.	23.05.2026	26-05-2026	Sector-57, Noida	50,000/-
4.	23.05.2026	26-05-2026	Sector-62, Noida	50,000/-
5.	23.05.2026	26-05-2026	Sector-51, Noida	50,000/-
6.	25.05.2026	03-06-2026	Sector-107, Noida	50,000/-

Note: In continuation of the order passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in OA No. 21/2014 Vardhman Kaushik vs Union of India and others, the environmental compensation has been directed to be levied on area/slab basis and not on the number of days for which the violation has been committed

AEE

आई0एम0एस0 संदर्भ सं0–936711082 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा प्राप्त शिकायत एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या–

1.	स्थल का पूर्ण पता	राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, प्लाट नं0– 20, 21, सेक्टर–62, नोएडा के सामने।
2.	निरीक्षण दिनांक	23.05.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, रवि कुमार, जे0ई0ए0।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, प्लाट नं0– 20, 21, सेक्टर–62, नोएडा के सामने पश्मिांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) के द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने का कार्य कियें जाने के उपरान्त मिट्टी का रोड के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	–
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	–
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी की खुदाई कर फुटपाथ के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है।
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे–वाटरस्प्रिंक्लर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त **संदर्भित** स्थल पर निरीक्षण के समय पश्मिांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने हेतु मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर

		समुचित जल छिड़कांव व ग्रीननेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन एवं हवा के चलने से वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, प्लाट नं0–20, 21, सेक्टर–62, नोएडा के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार 50,000/– (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

26/05/26
(रवि कुमार)
जे0ई0ए0

26.05.26
(पूजा त्रिपाठी)
अवर अभियन्ता

सहा0पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **रु0 10,000/–** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **रु0 20,000/–** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **रु0 30,000/–** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **रु0 50,000/–** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **रु0 5,00,000/–** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **रु0 5,000/–** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।

आई0एम0एस0 संदर्भ सं0–936711082 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा प्राप्त शिकायत एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या–

1.	स्थल का पूर्ण पता	गली नं0–2, निठारी, सेक्टर–31, नोएडा के सामने।
2.	निरीक्षण दिनांक	25.05.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, रवि कुमार, जे0ई0ए0।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	गली नं0–2, निठारी, सेक्टर–31, नोएडा के सामने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) के द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने का कार्य किया जाता हुआ पाया गया, जिससे उत्पन्न मिट्टी का रोड के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	–
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	–
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी की खुदाई कर फुटपाथ के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है।
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे–वाटरस्प्रिंक्लर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने हेतु मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़कांव व ग्रीननेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन एवं हवा के चलने से वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।

9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष गली नं0–2, निठारी, सेक्टर–31, नोएडा के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार 50,000/– (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

26/05/24

(रवि कुमार)
जे0ई0ए0

26-05-26

(पूजा त्रिपाठी)
अवर अभियन्ता

सहा0पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **रु0 10,000/–** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **रु0 20,000/–** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **रु0 30,000/–** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **रु0 50,000/–** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **रु0 5,00,000/–** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **रु0 5,000/–** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।

आई0एम0एस0 संदर्भ सं0–936711082 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा प्राप्त शिकायत एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या–

1.	स्थल का पूर्ण पता	प्लाट नं0– बी–38, सेक्टर–57 के सामने।
2.	निरीक्षण दिनांक	25.05.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, रवि कुमार, जे0ई0ए0।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	प्लाट नं0– बी–38, सेक्टर–57 के सामने नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था द्वारा नाली बनाने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे उत्पन्न मिट्‌टी का रोड के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	–
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	–
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है।
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे–वाटरस्प्रिंक्लर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था द्वारा नाली बनाने के कार्य से उत्पन्न मिट्टी को खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़कांव व ग्रीननेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन एवं हवा के चलने से वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष प्लाट नं0– बी–38, सेक्टर–57 के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार

			50,000/– (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(रवि कुमार)
जे0ई0ए0

(पूजा त्रिपाठी)
अवर अभियन्ता

सहा0पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **रु0 10,000/–** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **रु0 20,000/–** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **रु0 30,000/–** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **रु0 50,000/–** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **रु0 5,00,000/–** अर्थ दण्ड।

बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **रु0 5,000/–** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।

आई0एम0एस0 संदर्भ सं0–936711082 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा प्राप्त शिकायत एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या–

1.	स्थल का पूर्ण पता	प्लाट नं0– बी--233ए सेक्टर–26, नोएडा के सामने।
2.	निरीक्षण दिनांक	25.05.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, रवि कुमार, जे0ई0ए0।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	प्लाट नं0–बी–233ए सेक्टर–26, नोएडा के सामने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) के द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने का कार्य किये जाने के उपरान्त मिट्टी का रोड के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	–
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	–
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी की खुदाई कर फुटपाथ के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है।

8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे–वाटरस्प्रिंक्लर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने हेतु मिट्टी की

		खुदाई कर खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़कांव व ग्रीननेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन एवं हवा के चलने से वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष प्लाट नं0–बी–233ए सेक्टर–26, नोएडा के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार 50,000/– (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(रवि कुमार)
जे0ई0ए0

(पूजा त्रिपाठी)
अवर अभियन्ता

सहा0पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **रु0 10,000/–** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **रु0 20,000/–** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **रु0 30,000/–** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **रु0 50,000/–** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **रु0 5,00,000/–** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **रु0 5,000/–** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।

आई0एम0एस0 संदर्भ सं0–936711082 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा प्राप्त शिकायत एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या–

1.	स्थल का पूर्ण पता	सेक्टर–51, मेघदूतम पार्क के सामने।
2.	निरीक्षण दिनांक	25.05.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, रवि कुमार, जे0ई0ए0।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	सेक्टर–51, मेघदूतम पार्क के सामने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) के द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने का कार्य किये जाने के उपरान्त मिट्टी का रोड के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	–
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	–
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी की खुदाई कर फुटपाथ के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है।
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे–वाटरस्प्रिंक्लर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने हेतु मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़कांव व ग्रीननेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन एवं हवा के चलने से वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष सेक्टर–51, मेघदूतम पार्क के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित

		आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0एक्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार 50,000/— (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

26/05/26
(रवि कुमार)
जे0ई0ए0

26.05.26
(पूजा त्रिपाठी)
अवर अभियन्ता

सहा0पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय—समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक — **रु0 10,000/—** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक — **रु0 20,000/—** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक — **रु0 30,000/—** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक — **रु0 50,000/—** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक — **रु0 5,00,000/—** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **रु0 5,000/—** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या–

1.	स्थल का पूर्ण पता	प्रतीक एडीफिक, सेक्टर–107, नोएडा के सामने।
2.	निरीक्षण दिनांक	02.06.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, रवि कुमार, जे0ई0ए0।
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	प्रतीक एडीफिक, सेक्टर–107 नोएडा के सामने प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाइप लाईन डालने हेतु मिट्टी एवं निर्माण सामग्री का रोड के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	–
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	–
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी एवं निर्माण सामग्री को रोड के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है।

8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे–वाटरस्प्रिंक्लर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उक्त संदर्भित स्थल पर निरीक्षण के समय नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाईपलाईन डालने हेतु मिट्टी को खोदकर एवं निर्माण सामग्री को सडक के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़कांव व ग्रीननेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन एवं हवा के चलने से वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष प्रतीक एडीफिक, सेक्टर–107 नोएडा के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018

		एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

03/06/26 (रवि कुमार)
जे0ई0ए0

03.06.2026 (पूजा त्रिपाठी)
अवर अभियन्ता

सहा0पर्या0अभि0 / ~~क्षेत्रीय अधिकारी~~

3.6.26

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **रु0 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **रु0 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **रु0 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **रु0 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **रु0 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।

बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **रु0 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः 307/L-219/26 दिनांक: 26-05-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (S.P.),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर–6, नोएडा

विषयः– आई0एम0एस0 संदर्भ सं0–936711082 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आई0एम0एस0 संदर्भ सं0–936711082 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा अपने पत्र में सेक्टर–62 में बिजली विभाग द्वारा भूमिगत पाइपलाइन डालने से हो रहे वायु प्रदूषण की शिकायत की गई है। प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 23.05.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, प्लाट नं0– 20, 21, सेक्टर–62, नोएडा के सामने मुख्य मार्ग से लगे हुए फुटपाथ को खोदकर बिजली विभाग द्वारा भूमिगत पाइपलाइन डालने के उपरान्त मिट्टी को खुले में रोड के किनारे भण्डारित किया हुआ पाया गया, जिस पर समुचित जल छिड़कांव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस–पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है एव उक्त स्थल पर व्याप्त मिट्टी को रोड से हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत किये जाने सम्बंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, महोदया, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा को पर्यावरण नियमो का अनुपालप किये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः 305/L-219/26 दिनांकः 26-05-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (S.P.),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर–6, नोएडा

विषयः– आई0एम0एस0 संदर्भ सं0–936711082 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आई0एम0एस0 संदर्भ सं0–936711082 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा अपने पत्र में सेक्टर–31 में बिजली विभाग द्वारा भूमिगत पाइपलाइन डालने से हो रहे वायु प्रदूषण की शिकायत की गई है। प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 25.05.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय गली नं0–2, निठारी, सेक्टर–31, नोएडा के सामने मुख्य मार्ग रोड को खोदकर बिजली विभाग द्वारा भूमिगत पाइपलाइन डालने के कार्य किया जाता हुआ पाया गया, जिससे उत्पन्न मिट्टी को खुले में रोड के किनारे भण्डारित कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़कांव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस–पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, महोदया, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. पश्मिांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा को पर्यावरण नियमो का अनुपालप किये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 306/L-219/26 दिनांक: 26-05-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (S.P.),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर–6, नोएडा

विषय:– आई0एम0एस0 संदर्भ सं0–936711082 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आई0एम0एस0 संदर्भ सं0–936711082 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा अपने पत्र में सेक्टर–57 में नोएडा प्राधिकरण द्वारा नाली बनाने के कार्य से हो रहे वायु प्रदूषण की शिकायत की गई है। प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 25.05.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय प्लाट नं0– बी–38, सेक्टर–57 के सामने नाली बनाने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे उत्पन्न मिट्टी को खुले में रोड के किनारे भण्डारित किया हुआ पाया गया, जिस पर समुचित जल छिड़कांव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस–पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, महोदया, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : ई–12/1, सेक्टर–1, नोएडा–201301 फोन नं0 : 0120–4974552
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010
Website – www.uppcb.com, e-mail : ronoida@uppcb.in

e:\system data\lms\ims letter.doc

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 304/L-219/26. **दिनांक:** 26-05-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (S.P.),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर–6, नोएडा

विषयः– आई0एम0एस0 संदर्भ सं0–936711082 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आई0एम0एस0 संदर्भ सं0–936711082 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा अपने पत्र में सेक्टर–62 में बिजली विभाग द्वारा भूमिगत पाइपलाइन डालने से हो रहे वायु प्रदूषण की शिकायत की गई है। प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 23.05.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, प्लाट नं0– 20, 21, सेक्टर–62, नोएडा के सामने मुख्य मार्ग से लगे हुए फुटपाथ को खोदकर बिजली विभाग द्वारा भूमिगत पाइपलाइन डालने के उपरान्त मिट्टी को खुले में रोड के किनारे भण्डारित किया हुआ पाया गया, जिस पर समुचित जल छिड़कांव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस–पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है एव उक्त स्थल पर व्याप्त मिट्टी को रोड से हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत किये जाने सम्बंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, महोदया, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा को पर्यावरण नियमो का अनुपालप किये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः 308/L-219/26. दिनांकः 26-05-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (S.P.),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर–6, नोएडा

विषयः– आई0एम0एस0 संदर्भ सं0–936711082 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आई0एम0एस0 संदर्भ सं0–936711082 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा अपने पत्र में सेक्टर–51 में बिजली विभाग द्वारा भूमिगत पाइपलाइन डालने से हो रहे वायु प्रदूषण की शिकायत की गई है। प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 25.05.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय सेक्टर–51, मेघदूतम पार्क के सामने मुख्य मार्ग से लगे हुए रोड को खोदकर बिजली विभाग द्वारा भूमिगत पाइपलाइन डालने के उपरान्त मिट्टी को खुले में रोड के किनारे भण्डारित किया हुआ पाया गया, जिस पर समुचित जल छिड़कांव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस–पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है एव उक्त स्थल पर व्याप्त मिट्टी को रोड से हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत किये जाने सम्बंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, महोदया, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. पश्मिांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा को पर्यावरण नियमो का अनुपालप किये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः 352/क्षा०प०-134/26 दिनांकः 03-06-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (S.P.),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर–6, नोएडा

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रतीक एडीफिक, सेक्टर–107, नोएडा के सामने स्थलीय निरीक्षण दिनांक 25.05.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रतीक एडीफिक, सेक्टर–107, नोएडा के सामने नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाईप लाईन डालने हेतु मिट्‌टी एवं निर्माण सामग्री को खुले में रोड के किनारे भण्डारित किया हुआ पाया गया, जिस पर समुचित जल छिड़कांव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस–पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, महोदया, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी